फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

प्रार्थी: देवा विपक्षी: राज्य

किस्म मुकदमा: प्रा० पत्र० पत्रावली संख्या: 23 सन्: 2015

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो।	18/04/17 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

के नाम, वल्दियत व जाति एक समान होने की व ज...
सुविधा हो गई थी, जो कि अवैध, शून्य व नि...
है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधा...
का वाद एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अ...
प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है।
वाद वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण
उसके पूर्ण अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला,
सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐ...
स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषे...
रोका जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बह...
पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कि...
विपक्षीगण द्वारा अपनी तरफ से किसी प्रकार...
चारा जोई नहीं की गई है तथा उनके विरुद्ध
एक तरफा कार्यवाही अमल में ली जा चु...
है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में तथा
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत हो...
है।

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण
के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाती है कि मौजा धाया पटवार
मण्डल भूधर की आराजी नं. 229/0.05, 23...
233/0.05, 234/0.41, 235/0.07, 245/0.06
किता 6 रकबा 0.72 हैक्टर कृषि भूमि को
खुर्द-बुर्द अथवा स्वरूप परिवर्तन व निर्मा...
नहीं करावें वाद वर्णित भूमि की मौ...
तथा राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति मुकद्दमा
वाद के निस्तारण तक बनायी रखी
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल

कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधि
उपस्थित। एक पक्षीय बहस सुनी
का मुख्य रूप से कथन है कि म
भूधर की आराजी नं. 229/0.05
234/0.41, 235/0.07, 244/0.
0.72 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीग
कब्जे काश्त की है। उक्त
पूर्व खातेदार स्व. शंकर पित
की थी। तथा विरासत से प्रार्थ
लेकिन पूर्व खातेदार श्री शंकर
के बाद विरासत का नामांतरक
हल्का व विपक्षीगण की मि
कृषि भूमि का नामांतरकरण स्व
विधिक वारिसानो प्रार्थीगण
नही खोलकर विपक्षीगण के
है, जो अवैध, शून्य व निष्प्र
प्रार्थीगण के निवास स्थान
स्थित ग्राम खेड़ापुरी के निवा
व्यक्ति श्री शंकर पिता मन्ना
पश्चात उसकी ग्राम खेड़
भूमि के साथ-(2) ग्राम
के पिता/पति की खातेदारी
भूमि में भी विपक्षीगण के
खोल दिया गया, जबकि
पिता/पति जीवित थी उ
पिता/पति तथा विपक्षीगण